(14)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 985–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–01–2014 पारित द्वारा तहसीलदार चुरहट जिला सीधी प्रकरण कमांक 11/अ–12/2013–14.

अक्षयराज सिंह तनय श्री शिववोध सिंह
निवासी ग्राम भगेसर, तहसील चुरहट
जिला सीधी म0प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

1. रामधनी कोरी तनय श्री भरोषा कोरी
   निवासी ग्राम भगेसर, तहसील चुरहट
   जिला सीधी म0प्र0
2. मध्यप्रदेश शासन

———अनावेदकगण

– – – – – – –

श्री के0एन0 सिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजेश तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक कं. 1

– – – – – – –

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 8 सितम्बर 2016)

– – – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार चुरहट जिला सीधी के आदेश दिनांक 17–01–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक ने तहसीलदार के समक्ष ग्राम भगेसर तहसीलदार चुरहट जिला सीधी स्थित भूमि सर्वे कमांक 33 रकवा 0.14 हे0 एवं 34 रकवा 0.14 हे0 के सीमांकन हेतु आवेदन

प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज कर सीमावर्ती कृषकों को सूचना देकर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन करने के निर्देश दिये। तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा आपत्ति पेश की गई जिसे तहसीलदार ने आदेश दिनांक 17—1—14 के द्वारा निरस्त कर राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन की पुष्टि की। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की, गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक ने दिनांक 17—11—1956 कय की थी तथा तब से ही उक्त भूमि पर काबिल काश्त करता आ रहा है। अनावेदक द्वारा कभी आवेदक को विचाराधीन भूमि से बेदखल करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। आवेदक द्वारा नामांतरण नहीं कराने के कारण अभी अनावेदक कमांक 1 नाम राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है। इसी का लाभ उठाकर अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराने का आवेदन दिया। यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार ने आवेदक को न तो सूचना दी और उसके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर उसकी आपत्ति निरस्त कर सीमांकन आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया कि प्रश्नाधीन भूमि उसकी पैतृक भूमि है जिसपर काबिज होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आ रहे हैं। अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष अपने स्वत्व की भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसपर तहसीलदार ने विधिवत प्रकिया अपनाकर सींमाकन आदेश पारित किया। यह भी तर्क किया कि आवेदक की आपत्ति का विधिवत निराकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख में संलग्न राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन की कार्यवाही में सीमावर्ती कृषकों को सूचना जारी की गई है परन्तु उस पर किसी सरहदी कास्तकारों के हस्ताक्षर नहीं है, मात्र हस्ताक्षर से इंकार अंकित है। आवेदक सीमांकित भूमि से लगी भूमि सर्वे कमांक 31 का भूमिस्वामी होकर सरहदी कास्तकार है, यह बात सीमांकन हेतु जारी सूचना से सिद्ध होती है। सूचना एवं स्थल पंचनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि सरहदी कास्तकारों के अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसका तहसीलदार ने बिना निष्कर्ष निकाले मनगढ़ंत मानकर आदेश दिनांक 17—1—14 द्वारा आवेदक की आपत्ति को निरस्त कर सीमांकन की पुष्टि करने में त्रुटि की है। तहसीलदार द्वारा संहिता में सीमांकन हेतु प्रावधानिक नियमों की अनदेखी कर सीमांकन आदेश की पुष्टि करें में अवैधानिक कार्यवाही की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर स्वीकार की जाती है तहसीलदार का आदेश दिनांक 17—1—14 निरस्त किया जाकर प्रकरण में पुनः हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देने के उपरांत उनकी उपस्थिति में संहिता के प्रावधानानुसार विधिसत सीमांकन हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर